

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

षष्ठम झारखण्ड विधान-सभा
संख्या-16

पंचम (बजट) सत्र
मंगलवार, दिनांक-17 मार्च, 2026 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वा० से 03.17 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही माननीय सदस्य, श्री नवीन जयसवाल ने आसन को सूचित किया कि माननीय सदस्या, श्रीमती रागिनी सिंह पोर्टिको में घरने पर बैठी हैं तदुपरांत आसन की अनुमति से माननीय सदस्या, श्रीमती लोईस मराण्डी एवं माननीय सदस्या, श्रीमती पूर्णिमा साहू के द्वारा माननीय सदस्या, श्रीमती रागिनी सिंह को ससम्मान सदन के अन्दर लाया गया।)

1. प्रश्नकाल:-

आज के लिए निर्धारित अल्पसूचित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ-
(कुल अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या-07)

(क) उत्तरित कुल-05

क्रम सं०-221, अ०सू०-11
क्रम सं०-222, अ०सू०-24
क्रम सं०-223, अ०सू०-22
क्रम सं०-224, अ०सू०-23
क्रम सं०-226, अ०सू०-07

श्री आलोक कुमार चौरसिया, सं०वि०स०,
श्री सरयू राय, सं०वि०स०,
श्री सरयू राय, सं०वि०स०,
श्री अरूप चटर्जी, सं०वि०स०,
श्री हेमलाल मुर्मू, सं०वि०स०।

(ख) अपृष्ठ कुल-02,

क्रम सं०-220, अ०सू०-18
क्रम सं०-225, अ०सू०-08

श्री अमित कुमार यादव, सं०वि०स०,
श्री प्रदीप प्रसाद, सं०वि०स०।

(कुल तारांकित प्रश्नों की संख्या-63)

(क) उत्तरित कुल-04,

क्रम सं०-673,
क्रम सं०-674,
क्रम सं०-675,
क्रम सं०-676,

श्री अमित कुमार, सं०वि०स०,
श्री अनन्त प्रताप देव, सं०वि०स०,
डॉ० कुशवाहा शशिमूषण मेहता, सं०वि०स०,
श्री नागेन्द्र महतो, सं०वि०स०।

(ख) अनागत कुल-59,

क्रम संख्या-677 से क्रम सं०-735 तक।

2. प्रथम पाली की सूचना:-

माननीय सदस्या, श्रीमती रागिनी सिंह द्वारा सूचना के माध्यम से आग्रह किया गया कि कुछ दिन पूर्व मैंने सदन में विषय लाया था कि धनबाद स्थित एक अस्पताल द्वारा उपचार के क्रम में मृत व्यक्ति के शव उनके परिजनों को पैसे लेकर सौंपा गया जिन्हें अबतक पैसा नहीं लौटाया गया है तदुपरांत माननीय स्वास्थ्य मंत्री, डॉ० इरफान अंसारी के द्वारा समुचित कार्यवाई का आश्वासन दिया गया,

माननीय सदस्य, श्री नवीन जयसवाल ने आसन से आग्रह किया कि झारखण्ड राज्य के 287 वर्ग किमी. में फैले वन क्षेत्र हेतु रेंजर के लिए 350 पद के विरुद्ध केवल 50 रेंजर कार्यरत हैं। सरकार अभी कोई नयी नियुक्ति नहीं कर रही है तो कार्यरत रेंजर को नयी नियुक्ति होने तक एक वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया जाय,

माननीय सदस्या, डॉ० नीरा यादव ने आसन से आग्रह किया कि कल माननीय सदस्य, श्री समीर कुमार मोहंती के द्वारा चर्चा के क्रम में ऐसे असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया गया जिसका उल्लेख भी नहीं कर सकते हैं। सदन की कार्यवाही बाहर के बच्चे भी देख रहे होते हैं जिनको गलत संदेश जाएगा। इस विषय को लेकर विपक्ष के सदस्यों द्वारा विरोध करते हुए वेल में प्रवेश किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा बताया गया कि मैंने कल ही उस शब्द को स्पंज कर दिया है जिससे यह विषय कल ही समाप्त हो गया है, परन्तु शोरगुल एवं अव्यवस्था जारी रहा।

अव्यवस्था के बीच संसदीय कार्यमंत्री, श्री राधाकृष्ण किशोर ने स्वीकार किया कि अगर सदन में किन्हीं सदस्य के द्वारा संसदीय गरिमा के विरुद्ध शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो यह खेदजनक है और मैं इसके लिए क्षमा याचना करता हूँ।

3. शून्यकाल:-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-303 के तहत आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाएँ निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयी:-

श्री शत्रुघ्न महतो,
श्री समीर कुमार मोहन्ती,
श्री कुमार उज्ज्वल,
श्री संजीव सरदार,
श्री जनार्दन पासवान,
श्री आलोक कुमार सोरेन,
श्री भूषण तिकी,
श्रीमती सविता महतो,
डॉ० नीरा यादव,
श्री मंगल कालिंदी,
श्री आलोक कुमार चौरसिया,
श्रीमती लोईस मराण्डी,
श्री प्रदीप प्रसाद(अपृष्ठ),
श्री सोमेश चन्द्र सोरेन,
श्री अनन्त प्रताप देव,
डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता,
श्री नरेश प्रसाद सिंह,
श्री नमन विक्सल कोनगाडी,
श्री जगत मांझी,
श्री मथुरा प्रसाद महतो,
श्री राज सिन्हा,
श्रीमती गंजु कुमारी,

श्री रामचन्द्र सिंह,
श्री संजय कुमार सिंह यादव,
श्री सुरेश कुमार बैठा।

4.आसन से सूचना:-

आसन द्वारा अवगत कराया कि दर्शक दीर्घा से सरिया कॉलेज, सरिया के बच्चे सभा की कार्यवाही देख रहे हैं जिनके उज्ज्वल भविष्य हेतु पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएँ प्रेषित की जाती हैं।

5.ध्यानाकर्षण की सूचनाएँ:-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-147 के तहत प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना एवं उनपर दिये गये वक्तव्य निम्नवत् हैं-

I-माननीय सदस्य, श्री हेमलाल मुर्मू द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

II-माननीय सदस्य, श्री नागेन्द्र महतो द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

III-माननीय सदस्य, श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

IV-माननीय सदस्य, श्री चन्द्रदेव महतो द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

6.समितियों का गठन-

आसन की अनुमति से श्री राधा कृष्ण किशोर, माननीय प्रभारी मंत्री, संसदीय कार्य द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-237, 239 तथा 241 के अधीन क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के गठन हेतु अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव रखा गया जो ध्वनिमत से सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

7.सभा मेज पर कागजात का रखा जाना-

आसन की अनुमति से श्री राधा कृष्ण किशोर, माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन एवं एतद् सम्बन्धी अनुवर्ती कार्रवाई सम्बन्धी व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

(अन्तराल)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

8.विधायी कार्य:-

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, श्री सुदिव्य कुमार के द्वारा दिनांक-26 अगस्त, 2025 को सभा द्वारा पारित "झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025" को झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-110 के अधीन सदन की स्वीकृति के उपरांत वापस लिया गया।

राजकीय विधेयक

"झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026"

माननीय प्रभारी मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, श्री सुदिव्य कुमार द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक पुरःस्थापित किया गया। पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02-04, खण्ड-05, खण्ड-06-12, खण्ड-13, खण्ड-14-40, खण्ड-41, खण्ड-42-93, खण्ड-94, खण्ड-95, खण्ड-96, खण्ड-97, खण्ड-98, खण्ड-99, खण्ड-100-142, खण्ड-143, खण्ड-144-169 एवं खण्ड-01, अनुसूची, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् "झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2026" सभा द्वारा टंकणीय भूल संशोधन के साथ स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्य, श्री राज सिन्हा एवं माननीय सदस्य, श्री अभित कुमार यादव द्वारा विधेयक को प्रवर समिति में भेजने सम्बन्धी संशोधन एवं अन्य संशोधन तथा माननीय सदस्य, श्री जयराम कुमार महतो द्वारा प्रस्तुत संशोधन ध्वनिमत से अस्वीकृत हुआ।

9. आसन से सूचना (क्रमांक-4 से जारी):-

आसन द्वारा अवगत कराया कि दर्शक दीर्घा से विवेकानन्द विद्यालय, वेड़ो के बच्चे सभा की कार्यवाही देख रहे हैं जिनके उज्ज्वल भविष्य हेतु पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएँ प्रेषित की जाती हैं।

10. द्वितीय पाली की सूचना:-

माननीय सदस्य, श्रीमती रागिनी सिंह द्वारा सूचना के माध्यम से आग्रह किया गया कि आर.एस. पी. कॉलेज का टेंडर एवं प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी अबतक विभाग में लम्बित है। जिसपर संज्ञान लिया जाय,

माननीय सदस्य, श्रीमती मंजु कुमारी द्वारा सूचना के माध्यम से आग्रह किया गया कि उनके क्षेत्र अन्तर्गत देवरी में संजय कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति वेहोशी की हालत में मिला तथा धनबाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्हें गम्भीर चोट बताया गया है अतएव इस घटना की उच्चस्तरीय जाँच करायी जाय,

माननीय सदस्य, डॉ० नीरा यादव द्वारा सूचना के माध्यम से आग्रह किया गया कि पी.जी. की छात्राएँ मातृत्व अवकाश में रहने पर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाती हैं जिनके विशेष परिस्थिति को देखते हुए परीक्षा में शामिल कराया जाय,

माननीय सदस्य, श्री सुरेश पासवान ने सूचना के माध्यम से आग्रह किया कि सिद्धो-कान्ठ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत रिसर्च विंग खोला जाय।

11. आसन से घोषणा:-

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-263(1) के तहत चलते सत्र के दौरान दिनांक-18.02.2026 से दिनांक-16.03.2026 तक कुल-96 निवेदनों को स्वीकृत किया गया जिसपर सदन की सहमति के उपरांत सम्बन्धित विभागों को भेजे जाने सम्बन्धी घोषणा आसन से की गयी।

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक-18.03.2026 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक-17 मार्च, 2026 ई०।

रंजीत कुमार,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।